संख्या– 764 / III (2)/08–65(प्र0आ0)/2007

तत्काल
श्रीमती निदा
27/03/08

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य योजना के अन्तर्गत 181 कार्यों के निर्माण की प्रशाकीय वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लोक निर्माण विभाग, पौडी/ अल्मोडा एवं आपके द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये आगणनों के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये 181 कार्यों के आगणन लागत रू0 22496.12 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 22219.77 लाख (रूपये दो सौ बाईस करोड़ उन्नीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित रू0 0.05 लाख विवरणानुसार कुल रू0 9.05 लाख (रूपये नौ लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. आगणन मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमादित। दरो को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

1047
27/03/08

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

10. उक्त कार्य पर इसके किसी भाग हेतु यदि इसके पूर्व विभाग या अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस धनराशि का आहरण न करके शासन को सूचित कर उसे समर्पित कर दी जाय।

Photo Copy attested

Assistant Engineer.
Division PWD
(Chamoli)

27/3/08

5715
31-3-08

11. निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

13. यदि उक्त कार्यो मे से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडके-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य- 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-388/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-181 कार्यों की सूची।

29/3/08

भवदीय,
[signature]
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- 764 (1)/III-2/08,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल /कुमांऊ मण्डल पौडी / नैनीताल ।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लो.नि.वि., पौड़ी /अल्मोडा ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
[signature]
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

तुरन्त

पत्रांक:- 1047/42यात्रा/08, दिनांक 2/3/08

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रा०खं०, लो०नि०वि० कर्णप्रयाग/रुद्रप्रयाग/ऊखीमठ/गोपेश्वर को उक्त विषयक ... स्वीकृत कार्यों की सूची सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ... आवश्यक सूचना ... प्रेषित करें।

संलग्नक:- सूची

प्रतिलिपि- ... (रुद्रप्रयाग) / ... सूची सहित ... हेतु प्रेषित।

संलग्नक - सूची

Photo copy attached

Assistant Engineer
Ty Division P W D
Gauchar (Chamoli)

अधीक्षण अभियन्ता
7वाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)

75.	जन[illegible] देहरादून में [illegible] मार्ग के किशन नग[illegible] के सा[illegible] पार्किंग का निर्माण का[illegible]	-	11.10	10.89	0.05
76.	रा[illegible] के अ[illegible] जनपद रुद्रप्रयाग में वंर[illegible]ली से नथकू [illegible] मार्ग का नव निर्माण का[illegible] ।	6.00+1सेतु	328.52	328.52	0.05
77.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में सल्या- खेडा-तुलेगा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	4.00+ 1सेतु	240.83	240.83	0.05
78	चमोली में लंगासू से निवाडी खेत सिलगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	15 किमी	551.25	551.25	0.05
79.	चमोली में बाजबगड तेलंग गोटर मार्ग के किमी० 9 को हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी० 10 से 12 तक नव निर्माण कार्य ।	-	138.60	138.60	0.05
80	[illegible] धारखाल मोटर मार्ग के किमी० 10 [illegible] सुधार ए[illegible]करण का कार्य ।	5.00	95.50	95.50	0.05
81	[illegible] सिंह [illegible] के सितारगंज ब्लाक [illegible] ग्राम सभा [illegible]पुर के सिद्वगर्व्याग [illegible]वाग में पु[illegible] क्षेत्र के लिंक मार्ग [illegible] रक मार्ग [illegible] निर्माण कार्य ।	4.530+ 2 पुलिया 3मी० स्थान	145.12	132.09	0.05
	योग :-		22496.12	22219.77	9.05

(रू0 नौ लाख पॉच हजार मात्र)

[signature]

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

फैक्स द्वारा

पत्रांक सं०- 36[illegible] /०प्माता के 107 दि० 27.3.08.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त स्वीकृत कार्यों की विधानसभा क्षेत्र से आज ही फैक्स द्वारा इस कार्यालय को अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें, यह सूचना आज ही शासन को उपलब्ध करानी जानी है।

मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी/अल्मोड़ा

अधीक्षण अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/[illegible]

[illegible] अभियन्ता [illegible] सातवाँ/आठवाँ/नवम्/बारहवाँ वृत्त लो०नि०वि० अल्मोड़ा/[illegible]/उत्तरकाशी/गोपेश्वर/नैनीताल/पिथौरागढ़/हल्द्वानी/[illegible]/देहरादून/पौड़ी को उपरोक्तानुसार आज ही इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

[illegible] 27/3/08

कृते मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल
देहरादून-248 001

Photo copy attested

[signature]

Assistant Engineer
Ty Division P.W.D.
Gauchar (Chamoli)